

**BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DLEHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Short Reply on behalf of the Respondent No. 7, Ghaziabad Development Authority in the matter of <i>Sushil Raghav v. State of Uttar Pradesh and Others</i> O.A. 710 of 2023.	1-5
2.	ANNEXURE A-1: A true copy of the show cause notice dated 30.12.2024.	6-8
3.	ANNEXURE A-2: A true copy of the reply to show-cause notice.	9-14
4.	ANNEXURE A-3 (Colly): A true copy 40 show cause notices	15-61

Place: New Delhi

Date: 05.02.2025

**GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(RESPONDENT NO. 7)**

आलाक रजन

अधिशसी अभियन्

THROUGH COUNSEL

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record, Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

**YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD
A-131, SECTOR 46, NOIDA, and U.P.
Email: yagywalkya@dylawchambers.com
Contact: +91- 7838848157**

**BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DLEHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

**SHORT REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 7, GHAZIABAD
DEVELOPMENT AUTHORITY IN THE MATTER OF SUSHIL RAGHAV V.
STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS O.A. 710 OF 2023.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

1. That the present reply is being filed on behalf of the Respondent No. 7, Ghaziabad Development Authority in the present Original Application No. 710 of 2023 titled as *Sushil Raghav v. State of Uttar Pradesh and Others* (hereinafter referred to as ‘the present matter’) pending for adjudication before the Hon’ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as ‘the Hon’ble Tribunal’).
2. That the Respondent No.7, Ghaziabad Development Authority (hereinafter referred to as ‘the Respondent No.7’) is created under Section-4 of Urban Planning and Development Act, 1973 by Government Order no. 738(1)-37-2-47-DA76, Lucknow dated 9th March 1977. The primary objectives of the Authority are preparation of Master Plan for Planned Urban Development, development & control as per Master Plan, Acquisition of Land and Management for Housing and Urban Development, Construction Housing and Development, provision of Physical and Social Infrastructure.
3. That, at the very outset it is submitted before this Hon’ble Tribunal that the relief sought by the Applicant in present matter is frivolous and baseless. Further, all the contentions submitted by the Applicant are denied in entirety save and

except so far as specifically admitted herein. Nothing in the present reply may be deemed to be an admission for want of specific denial.

4. That the present matter is examining the grievance of the original applicant that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony at G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad. The allegation is about construction of a road/pathway on the land earmarked for the park and also the construction of a drain and shifting of the boundary wall of the park to reduce the park area.
5. That it most humbly submitted that a committee comprising of high officials did a comprehensive survey/inspection of the site on 22.08.2024 and after considering history of land, layout map, and District Magistrate's report dated 18.07.2024, a comprehensive report was submitted wherein following was stated:

.... The following facts emerged from the site which below-mentioned: -

- A. The total area of Park is 12040 sq. mt. Out of which, on 2864 sq. mtr. area, more than 172 houses are built, and 993 persons are residing there for the last 40 years.*
- B. The existing 9 industries have 119 workers. The road constructed on park land is in front of these factories, occupying 293 sq. mt. area.*
- C. So out of 12040 sq. mt. park area 3157 sq. mt. is under houses and roads. The remaining 8883 sq. mt. is available as open park.*
- D. Municipal Corporation has developed around 21000 Miyawaki plantation on the remaining encroachment free area. ...*

6. In pursuance of the same, Respondent No. 7 has issued nine show cause notice dated 30.12.2024 to the industries under Section-27 of the Uttar Pradesh Town

Planning and Development Act-1973. A true copy of the show cause notice dated 30.12.2024 is marked and annexed herein as **ANNEXURE A-1**.

7. That in reply dated 08.01.2025 to the show cause notice, it has been apprised that the matter is pending adjudication before the Hon'ble National Green Tribunal as *Sushil Raghav v. State of U.P & Ors.* (O.A. No. 710 of 2023) and an impleadment application (I.A. 478/2024) has been filed by the noticees stating them to proper and necessary party to the above-mentioned pending matter. It has been further stated that an application seeking directions to maintain status quo as I.A No. 480/2024 has also been filed before the Hon'ble Tribunal in the present matter. A true copy of the reply to show-cause notice is marked and annexed herein as **ANNEXURE A-2**.

8. That 20 more show cause notices were sent on 31.12.2024 and further 20 were sent as on 31.01.2025 to the occupants of the said area as per due process of law. A true copy 40 show cause notices are marked and annexed herein as **ANNEXURE A-3 (Colly)**

Place: New Delhi

Date: 05.02.2025

HAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(RESPONDENT NO. 7)

आलाके रजन

अधिशाली अभियन्त


THROUGH COUNSEL

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record, Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD

A-131, SECTOR 46, NOIDA, and U.P.

Email: yagywalkya@dylawchambers.com

Contact: +91- 7838848157

BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, A LOK RANJAN, S/o LT. SH. R.P. GUPTA, aged about 58 years, presently posted as EXECUTIVE ENGINEER, GDA, and R/o GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the authorized representative of the Respondent Authority in the aforesaid matter and I am well conversant with facts and circumstances of the case and I am competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying short reply have been read over to me, which I understood and I state that the contents from para 1 to 8 are based on the records maintained by me and further as per the legal advice received and believed by me to be true.
3. That the Annexure filed with the present short reply are true copies of the originals.

M
DEPONENT
आलोक रजन
अधिशाली अभियन्त


VERIFICATION

Verified at New Delhi on this _____ day of _____, 2025 that the contents of Para 1 to 3 of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Certified / Attested
That today date 05/02/2025
The Signature / Thumb, Impression
of Shri. A LOK RANJAN
Was made by
Serial No. (1)

M
DEPONENT
आलोक रजन
अधिशाली अभियन्त

mijda
Smt. Manoj Chaudhary
Notary, Ghaziabad. (U.P.) India
05/02/25



गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक संख्या: 383/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/24

कारण बताओ नोटिस

दिनांक:- 30/12/24

सेवा में, ✓ श्री चन्द्रवती यादव पत्नी श्री जे0एन0 यादव मै0 जे0सी0 इन्जीनिरिंग वर्क्स राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी पार्क जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद गाजियाबाद।	सेवा में, ✓ श्री इन्द्रजीत मै0 स्वामी स्टील राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद, गाजियाबाद।	सेवा में, ✓ श्री राजेन्द्र यादव मै0 एनीलिफ्टर इण्डिया प्रा0लि0 राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
सेवा में, ✓ श्री बृजराज पुत्र सहाब सिंह मै0 चौधरी स्टील फ़ैब्रीकेशन राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी पार्क जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद गाजियाबाद।	सेवा में, ✓ श्री तनेजा मै0 आर0पी0 इंजीनियर्स राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद, गाजियाबाद।	सेवा में, ✓ श्री अनुराग यादव मै0 युग इण्डस्ट्रीज राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
सेवा में, ✓ श्री राम वर्मा मै0 लिफ्ट स्पेयर इन्जी0 राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी पार्क जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद गाजियाबाद।	सेवा में, ✓ श्री योगेश चावला मै0 सिटीजन मेटल इन्ड0 राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद, गाजियाबाद।	सेवा में, ✓ श्री सुखदेव मै0 एच0आर0 ट्रेडर्स राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मिल, 8/7, ग्राम, साहिबाबाद, गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस।

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मील 8/7, ग्राम साहिबाबाद, तहसील, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फ़ाईनेन्स कॉर्पोरेशन, 02, पार्क विव करोल बाग नई दिल्ली-12 प्रेसक्राइड अथोरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में 14400 वर्ग गज का एक पार्क का प्राविधान करते हुए कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी। पार्क के उत्तर की ओर भूखण्ड सं0-79 व 80 तथा इसके पश्चिम में फ़ैक्ट्री व बंगला दर्शाया गया था। कालान्तर में आप द्वारा भूखण्ड सं0-79, 80, फ़ैक्ट्री व बंगला वाले भूखण्ड को ले-आउट के सापेक्ष बदलते हुए पार्क की ओर मुख करते हुए 09 भूखण्डों का सृजन कर लिया गया है। इन 09 फ़ैक्ट्रीयों के मालिकों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार पार्क की भूमि में अतिक्रमण करते हुए सी0सी0 रोड का निर्माण कर लिया गया है।

एतद् द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 08.01.25 को साय: 3:30 बजे सक्षम अधिकारी, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बताये कि क्यों न उपरोक्त अतिक्रमण को हटाने व आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश पारित कर दिये जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते हैं।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

सक्षम प्राधिकारी
प्र0प्र0-7

30/12/24
P.T.O.

Received copy

① - भागीरथ स्वामी 8373951372

3-1-25

② - भागीरथ स्वामी 8373951372 3-1-25

③ for 8588868688 03-01-25

④ Rohit - 8800590030 13/1/2025

⑤ 9312273563 for 3-1-25

⑥ MV 9289704356 3-1-2025

⑦ - Atul 9910417187 3/1/2025

⑧ for 9911502028 3/1/25

⑨ M. Lokman
9818556548

दिनांक - 08.01.25 को DA-710/2023 मुखीनराघव नाम
स्टेट ऑफ़ भूजपीठ व अन्न में उपस्थित कर्मियों की सूची।

<u>क्रमसं०-</u>	<u>नाम</u>	<u>दस्तावेज/मोबाइल नं०</u>
01.	YOGESH CHAVLA	9811228177
02.	Lohit yudav slofalemln gaur	8588868689
03.	Inder chand swami	9999174440
04.	Bansraj Singh	8800590030

To,

The concerned official
(*श्री आलोक बंजन जी*)

~~0-15~~8.10.25

Development Authority,
Ghaziabad

**SUB: REPLY TO THE SHOW-CAUSE NOTICE DATED 30.12.2024 BEARING
REFERENCE NO. 383/PRAVARTAN KHAND ZONE-7/24**

Ref: Your show cause notice bearing reference no. - 383/pravartan khand zone-7/24

Dear Sir,

With regard to the captioned show cause notice we wish to address you as under:

1. In the above-captioned show cause notice you have sought our explanation/comments on the subject matter stating that over time, the factory owners in Rajendra Nagar Industrial Colony, G.T. Road have changed the layout of plot no. 79, 80, Factory and Bungalow plot and created 9 plots facing the park. Further, the owners of these nine (9) factories have constructed CC roads encroaching upon the park land as per their requirement.

**THE MATTER IS SUBJUDICE BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL**

2. W.R.T. the aforesaid, the undersigned wishes to apprise you that the matter concerning restoration of 14,400 square yards of area alleged to be a 'Park' in the alleged approved layout plan titled *Sushil Raghav v. State of U.P. & Ors. (OA No. 710 of 2023)* is pending adjudication before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
3. Further, the undersigned has already filed an impleadment application citing all the issues and grounds along with relevant and conclusive proof demonstrating that the undersigned is a proper and necessary party to the above-mentioned matter pending before the Hon'ble National Green Tribunal.
4. Moreover, vide order dated 17.10.2024, the Hon'ble National Green tribunal directed all the parties in O.A. No. 710/2023 (*Ghaziabad Development Authority being*

respondent no. 7) to file a reply to the interim applications filed by the undersigned within a period of four (4) weeks. However, to the utter surprise of the undersigned, till date no reply has been filed and surprisingly, the above-captioned show cause notice was served upon the undersigned.

5. Therefore, the present matter being sub-judice before the Hon'ble National Green Tribunal, you are requested to lay your hands till the matter is adjudicated upon by the Hon'ble National Green Tribunal.

STAND TAKEN BEFORE THE HON'BLE NGT

6. Even otherwise without prejudice to the above taken stand, the undersigned has already agitated the present issue thoroughly highlighting and clarifying why the CC Road should not be demolished, before the Hon'ble National Green Tribunal.
7. Through sale deed dated 22.06.2004 (*hereinafter referred to as "2004 Sale Deed"*), a part of freehold industrial area bearing Plot No. 80-K admeasuring 102 sq. yard or 85.28 sq. meter was purchased by the undersigned from Delhi Housing and Finance Corporation which was situated on the southern side of the area marked as 'Factory and Bungalow'.
8. Further it is pertinent to note that even in the site description given in the **2004 Sale Deed** there is a specific mention of the CC Road. Therefore, the undersigned has never constructed or caused to be constructed any road whatsoever, as the CC Road was already in existence and usage at the time of the undersigned's purchase.
9. Therefore, in light of the above, it is most respectfully prayed that the Authority may kindly pass an order granting stay on the operation of the captioned show-cause notice until the adjudication of O.A. No. 710/2023 by the Hon'ble National Green Tribunal

Trust the above satisfies your query.

With best regards,

Yours sincerely,

Brij Raj Singh
8.01.25

Brij Raj Singh

Chaudhary Steel Fabrication

To, *The concerned official*
Development Authority, *(श्री आलोक रेजनाजी)*
Ghaziabad

8/1/25

**SUB: REPLY TO THE SHOW-CAUSE NOTICE DATED 30.12.2024 BEARING
REFERENCE NO. 383/PRAVARTAN KHAND ZONE-7/24**

Ref: Your show cause notice bearing reference no.- 383/pravartan khand zone-7/24

Dear Sir,

With regard to the captioned show cause notice we wish to address you as under:

1. In the above-captioned show cause notice you have sought our explanation/comments on the subject matter stating that over time, the factory owners in Rajendra Nagar Industrial Colony, G.T. Road have changed the layout of plot no. 79, 80, Factory and Bungalow plot and created 9 plots facing the park. Further, the owners of these nine (9) factories have constructed CC roads encroaching upon the park land as per their requirement.

**THE MATTER IS SUBJUDICE BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL**

2. W.R.T. the aforesaid, the undersigned wishes to apprise you that the matter concerning restoration of 14,400 square yards of area alleged to be a 'Park' in the alleged approved layout plan titled *Sushil Raghav v. State of U.P. & Ors. (OA No. 710 of 2023)* is pending adjudication before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
3. Further, the undersigned has already filed an impleadment application citing all the issues and grounds along with relevant and conclusive proof demonstrating that the undersigned is a proper and necessary party to the above-mentioned matter pending before the Hon'ble National Green Tribunal.
4. Moreover, vide order dated 17.10.2024, the Hon'ble National Green tribunal directed all the parties in O.A. No. 710/2023 (*Ghaziabad Development Authority being*

respondent no. 7) to file a reply to the interim applications filed by the undersigned within a period of four (4) weeks. However, to the utter surprise of the undersigned, till date no reply has been filed and surprisingly, the above-captioned show cause notice was served upon the undersigned.

5. Therefore, the present matter being sub-judice before the Hon'ble National Green Tribunal, you are requested to lay your hands till the matter is adjudicated upon by the Hon'ble National Green Tribunal.


STAND TAKEN BEFORE THE HON'BLE NGT

6. Even otherwise without prejudice to the above taken stand, the undersigned has already agitated the present issue thoroughly highlighting and clarifying why the CC Road should not be demolished, before the Hon'ble National Green Tribunal.
7. Through sale deed dated 22.06.2004 (*hereinafter referred to as "2004 Sale Deed"*), a part of freehold industrial area bearing Plot No. 80-K admeasuring 102 sq. yard or 85.28 sq. meter was purchased by the undersigned from Delhi Housing and Finance Corporation which was situated on the southern side of the area marked as 'Factory and Bungalow'.
8. Further it is pertinent to note that even in the site description given in the **2004 Sale Deed** there is a specific mention of the CC Road. Therefore, the undersigned has never constructed or caused to be constructed any road whatsoever, as the CC Road was already in existence and usage at the time of the undersigned's purchase.
9. Therefore, in light of the above, it is most respectfully prayed that the Authority may kindly pass an order granting stay on the operation of the captioned show-cause notice until the adjudication of O.A. No. 710/2023 by the Hon'ble National Green Tribunal

Trust the above satisfies your query.

With best regards,

Yours sincerely,


8/11/25
Yogesh Chawla

(Citizen Metal Industries)

To, *The concerned official*
Development Authority, (श्री आलोक रंजन जी)
Ghaziabad

02/01/2025

**SUB: REPLY TO THE SHOW-CAUSE NOTICE DATED 30.12.2024 BEARING
REFERENCE NO. 383/PRAVARTAN KHAND ZONE-7/24**

Ref: Your show cause notice bearing reference no. - 383/pravartan khand zone-7/24

Dear Sir,

With regard to the captioned show cause notice we wish to address you as under:

1. In the above-captioned show cause notice you have sought our explanation/comments on the subject matter stating that over time, the factory owners in Rajendra Nagar Industrial Colony, G.T. Road have changed the layout of plot no. 79, 80, Factory and Bungalow plot and created 9 plots facing the park. Further, the owners of these nine (9) factories have constructed CC roads encroaching upon the park land as per their requirement.

**THE MATTER IS SUBJUDICE BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL**

2. W.R.T. the aforesaid, the undersigned wishes to apprise you that the matter concerning restoration of 14,400 square yards of area alleged to be a 'Park' in the alleged approved layout plan titled *Sushil Raghav v. State of U.P. & Ors. (OA No. 710 of 2023)* is pending adjudication before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
3. Further, the undersigned has already filed an impleadment application citing all the issues and grounds along with relevant and conclusive proof demonstrating that the undersigned is a proper and necessary party to the above-mentioned matter pending before the Hon'ble National Green Tribunal.
4. Moreover, vide order dated 17.10.2024, the Hon'ble National Green tribunal directed all the parties in O.A. No. 710/2023 (*Ghaziabad Development Authority being*

respondent no. 7) to file a reply to the interim applications filed by the undersigned within a period of four (4) weeks. However, to the utter surprise of the undersigned, till date no reply has been filed and surprisingly, the above-captioned show cause notice was served upon the undersigned.

5. Therefore, the present matter being sub-judice before the Hon'ble National Green Tribunal, you are requested to lay your hands till the matter is adjudicated upon by the Hon'ble National Green Tribunal.


STAND TAKEN BEFORE THE HON'BLE NGT

6. Even otherwise without prejudice to the above taken stand, the undersigned has already agitated the present issue thoroughly highlighting and clarifying why the CC Road should not be demolished, before the Hon'ble National Green Tribunal.
7. Through sale deed dated 22.06.2004 (*hereinafter referred to as "2004 Sale Deed"*), a part of freehold industrial area bearing Plot No. 80-K admeasuring 102 sq. yard or 85.28 sq. meter was purchased by the undersigned from Delhi Housing and Finance Corporation which was situated on the southern side of the area marked as 'Factory and Bungalow'.
8. Further it is pertinent to note that even in the site description given in the **2004 Sale Deed** there is a specific mention of the CC Road. Therefore, the undersigned has never constructed or caused to be constructed any road whatsoever, as the CC Road was already in existence and usage at the time of the undersigned's purchase.
9. Therefore, in light of the above, it is most respectfully prayed that the Authority may kindly pass an order granting stay on the operation of the captioned show-cause notice until the adjudication of O.A. No. 710/2023 by the Hon'ble National Green Tribunal

Trust the above satisfies your query.

With best regards,

Yours sincerely,


8/11/2025
Atul Verma
(M/S LIFT SPAIR ENGG.)



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 425 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री राजेंद्रनगर 510 सी रामस्टा,
बाबू जगजीवन राम पार्क,
(अवैध)
राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

शिवराम अग्रवाल

941 852 3976

03/02/2025

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7

५



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 426 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री श्री लाल पुत्र श्री भुक्ता,
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्र नगर, साहिबबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाक्षी प्रवर्तन
जोन-7



Motilal
 Jaggew
 m

 **GPS Map Camera**



Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
 36, Bjr Colony, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad,
 Uttar Pradesh 201007, India
 Lat 28.675285° Long 77.372869°
 03/02/2025 03:33 PM GMT +05:30



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

3

पत्रांक सं०-427 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-31/12/24

सेवा में,

श्री राजेश त. भा. भुक्तेश पुत्र स्क. हरीश चक्र
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद। (सौ. 2/2)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

यशोदा
8008625868
03/02/2025

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 428 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/2024

सेवा में,

श्री उमा काश तशी सतीश पुत्र श्री मधुर प्रसाद
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर (औद्योगिक) साहिब, गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 429 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री. राघव राम यादव पुत्र राजकुली यादव

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्र नगर (इं० क्षेत्र) साहिब, गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

Pankaj

8010280981

3-2-25

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7

9



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 430 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री. एम. कृष्ण कुमार पुत्र बिरुनाथ
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्र नगर (बाँव बँव) साहिबाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।


मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन


जोन-7



pirmesh kumar
Babu
Jaggewan Ram

 **GPS Map Camera**

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9gf+57m, Shyam Park Main, Rajendra Nagar,
Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675297° Long 77.373137°
03/02/2025 03:41 PM GMT +05:30



Google



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 431 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री शानिल कुमार पुत्र श्री राम कर्षीधर
 बाबू जगजीवन राम पार्क,
 राजेन्द्र नगर (वैद्य क्षेत्र) रा.सि. गा.बा.क।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कौन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

राजेश

8700299570

03/02/2025

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7

५



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 432/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री रमेश पुत्र श्री शिव नूथ,
साबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्र नगर (घाँसै) साहिबाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

रमेश

8700299570

03/02/2025

प्रभाकर प्रवर्तन
जोन-7

9



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 433 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री श्री कैश पुत्र शंकर
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्र नगर (औद्योगिक) साहिबाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

श्री श्री कैश

8700299570

03/02/2025

प्रमारी प्रवर्तन
जोन-7

9



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 434 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्रीमती पूलमती पत्नी श्री जयाराज

बाबू जगजीवन राम पार्क
(सं-433)
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

महोदय

03/02/2025

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 435/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री गौपाल रजक गंगाशम व रोहित रजक व कर्णेश रजक

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (श्री 00/00/00)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन
जोन-7

९

mkund

9870114969

03/02/2025



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

12

पत्रांक सं०- 436 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री. श्री. अनिता देवा व विष्णु पुत्र राधव प्रसाद
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (श्री. देवा)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

31/12/24 9999327796

3-2-2025

प्रभाषी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

13

पत्रांक सं०- 437 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री. राजेश सिद्ध पुनित पुत्र दिनेश सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (अ.प.क.)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7

9

Sumit Singh
31/12/24
2505996624



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

14

पत्रांक सं०- 430 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री बाबू जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (श्री 000)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

Shreyas
31 Feb/25

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7

Date - 31 Feb/25

Phone no - 9868008548

9



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 489 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

Shivan

P.No 9654522313

3/2/25

प्रमारी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(16)

पत्रांक सं०- 440 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री दिलीप पासवान पुत्र श्री गीरी पासवान,

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आवेदन)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रमाण प्रवर्तन

जोन-7

Komal

8384009909

31/12/25

9



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- ५५५ / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री राजीव प्रसाद

बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

(अ.प्र.प्र.)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन
जोन-7

3/12/25

2011878005



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

18

पत्रांक सं०- 442 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री अरवि सिंह पुत्र भूलेखन सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (सौंपक)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।


टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रमारी प्रवर्तन

जोन-7

9

Handwritten notes in blue ink on the left margin.



Mahendar Singh Babu Jaggewan Ram

 **GPS Map Camera**

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9gf+58j, Shyam Park Main, Sahibabad, Ghaziabad,
Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675616° Long 77.373353°
03/02/2025 04:08 PM GMT +05:30

Google



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(19)

पत्रांक सं०- 443 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्रीमती- कब्जा सिंह पत्नी लखन सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (खैरपुर)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।


मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रमारी प्रवर्तन
जोन-7

9



Chanda Davi
 Babu
 Jaggewan
 Ram

उत्तर प्रदेश साहित्य अकादेमी
 उत्तर प्रदेश
 साहित्य अकादेमी
 उत्तर प्रदेश साहित्य अकादेमी
 उत्तर प्रदेश साहित्य अकादेमी

GPS Map Camera

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
 M9gf+58j, Shyam Park Main, Sahibabad, Ghaziabad,
 Uttar Pradesh 201007, India
 Lat 28.675666° Long 77.373342°
 03/02/2025 04:15 PM GMT +05:30



Google



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(20)

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 444 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/24

सेवा में,

श्री बजाज कुमार पत्नी प्रताप सिंह,

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आँकड़ा)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7

9



Ajay kumar Babu
Jaggewan Ram

 **GPS Map Camera**

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
 M9gf+58j, Shyam Park Main, Sahibabad, Ghaziabad,
 Uttar Pradesh 201007, India
 Lat 28.675531° Long 77.373525°
 03/02/2025 04:10 PM GMT +05:30

Google

22



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-446 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री. विजय लक्ष्मी पत्नी श्री. रमेश चन्द्र

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (श्री. रमेश)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कॉर्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।


प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(2)

पत्रांक सं०- 445 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/1/2025

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र

बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आ/क)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभासी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

23

पत्रांक सं०-447/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री. राजेश कुमार श्री रामजी शुक्ला

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (श्री. श्री.)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, कोरोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाश्री प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(21)

पत्रांक सं०-448 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री राजीव प्रसाद कर्माचार्य

बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

(जोड)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(25)

पत्रांक सं०- 449 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री चप्पू

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

(ओ.डी.)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभासी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

26

पत्रांक सं०-450/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/04/25

सेवा में,

श्री राजेश कुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (ऑफिस)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(22)

पत्रांक सं०-451 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री काशी

बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

(आवेदक)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(28)

पत्रांक सं०-452/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र लालमन

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आँक्रे)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।


प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7

(29)



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 455/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री राजेश कुमार शर्मा

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (ऑफिस)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

4

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

30

पत्रांक सं०- 454/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/04/25

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद।

(अ.प्र.)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(31)

पत्रांक सं०- 455 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री बाबू जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (ऑफिस)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 458 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/04/25

सेवा में,

श्री चमैन्ड सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह,
बाबू जगजीवन राम पार्क
राजेन्द्र नगर (औद्योगिक) साहिब गाबाद

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभासी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

33

पत्रांक सं०-457 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री. चदीराम पुत्र श्री. नरथुमी

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आवेदक)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।


प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

34

पत्रांक सं०-450 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री विश्वराम पुत्र माथुजी

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (श्री श्री)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M
प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(35)

पत्रांक सं०-459 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-31/04/25

सेवा में,

श्री विनेश गुप्ता पुत्र श्री रामजी गुप्ता

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आवेदक)

विषय:- राजेंद्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेंद्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।


प्रभाकर प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

36

पत्रांक सं०- 460 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री हरेश्वर राय पुत्र केदार राय

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (अतिरिक्त)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

u

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

34

पत्रांक सं०- 461 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री राम प्रवेश पुत्र नन्द जी गुप्ता

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (अवैध)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

38

पत्रांक सं०- 462 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/01/25

सेवा में,

श्री अशोक कुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (कॉपी)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M
प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 463 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/01/25

39

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (कॉन्वे)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

40

पत्रांक सं०-464 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/01/25

सेवा में,

श्री आकाश

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद। (आकाश)

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथार्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

टिप्पणी:- आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन
जोन-7